# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
## पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 115/25 तारीख रज्जू– 01/04/25

1. मोहरसिंह पुत्र रामनिवास मीना जाति मीनापाड़ा तहसील तलावड़ा जिला सवाई माधोपुर। –अपीलार्थी

बनाम

1. .सरकार जरिये तहसीलदार तलावड़ा। । –रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 29.07.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार तलावड़ा 224/2024 में पारित निर्णय दिनांक 04.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मीनापाड़ा के आराजी खं0नं0 217 किस्म गै0मु0रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से तथा सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूऐदाद मिसल है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने बिना पत्रावली का अवलोकन किये व बिना हल्का पटवारी के बयान लिये , अपनी मनमर्जी से उक्त आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अपीलान्ट का मौके पर भूमि खसरा नम्बर 217 स्थित ग्राम मीनापाड़ा तहसील तलावड़ा पर कोई कब्जा नहीं है, तथा हल्का पटवारी समे सम्वत् 2081 में अपीलान्ट द्वारा पत्थर डालकर कब्जा करना बताया है। जबकि मौके पर अपीलान्ट ने भूमि पर किसी प्रकार का अतिचार नहीं किया है। पटवारी हल्का की एकपक्षीय रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया है पटवारी हल्का द्वारा कोई मौका नहीं देखा गया है ना ही कोई सीमाज्ञान किया गया है तथा एक पक्षीय रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। ना ही हल्का पटवारी की दैनिक डायरी कोई प्रति ही पत्रावली के साथ पेश की गई है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सिविल कारावस के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने कानूनी प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना की है तथा मात्र हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर ही अपीलार्थी को सिविल

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

कारावास के दण्ड से दण्डित करने में कानूनी भूल की है, साथ ही पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 01.04.2025 में अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आश्य का भी प्रस्तुत किया है कि भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं करूगा, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। पेरोकार सरकार ने दौरान बहस यह भी निवेदन किया है कि साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का की नवीन रिपोर्ट दिनांक 01.04.2025 में अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया है। अपीलार्थी पक्ष ने अपने साक्ष्य के रूप में एक शपथ पत्र इस आश्य का भी प्रस्तुत किया है कि भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा व अतिक्रमण नहीं करूगा।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना )
अति0 जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested